राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

कार्यालय उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर

क्रमांकः–एएलआर 1628/तिजारा/191 दिनांकः–12/3/2020

जिला कलक्टर,
अलवर।

विषयः– प्रार्थना पत्र मैसर्स एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्र0 लि0, यूजी –9 ओजोन सेन्टर सेक्टर 12 फरीदाबाद बाबत ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा में विकसित भूमि का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्रांक प.12–6(3)राजस्व/अधिवास/2020/242 दिनांक 03.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मैसर्स एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्र0 लि0, यूजी –9 ओजोन सेन्टर सेक्टर 12 फरीदाबाद बाबत ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा में विकसित भूमि का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत कार्यालय की राय चाही गयी है। प्रकरण में मौका निरीक्षण व जॉच की गई, मौके व पूर्व में प्रभावित संशोधित नक्शे के अनुरूप मौके पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी – 2010 एवं एकीकृत भवन विनियम – 2017 के मापदण्डो के अनुरूप हो रहे निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुये :–
Rajasthan Town Ship Policy 2010 के बिन्दू संख्या 5 मे वर्णित **Guidelines for approval/completion of Internal Develoment work** (संलग्न) के समस्त मापदण्डो की पूर्ति पश्चात् एवं एकीकृत भवन विनियम – 2017 के बिन्दू संख्या 16 (संलग्न) में वर्णित मापदण्दो की पूर्ति पश्चात् ही पुर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके क्रम में लेख है कि मौका निरीक्षण में उक्त स्थान पर गाईडलाईन्स में वर्णित अनुसार मापदण्डो के अनुरूप कार्य किया गया है। अतः गाईडलाईन्स के अनुरूप प्रकरण में पुर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो कार्यालय को तकनीकी रूप से कोई आपत्ति नही है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रसून चतुर्वेदी)
उप नगर नियोजक
अलवर क्षेत्र अलवर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांकः12–6(3)राजस्व / अधिवास / 2019 / 1249 दिनांक 24/06 / 2020

निदेशक, मैसर्स एवीएस कान्ट्रेक्टर्सस प्रा0 लि0,
यूजी–9, ओजोन सेन्टर, सैक्टर 12, फरीदाबाद,
(हरियाणा)

विषय–आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2019 बाबत आवासीय प्रोजेक्ट का कम्पलीशन प्रमाण पत्र जारी करने।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि आपने इकाई के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत गांव चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा की आ0ख0नम्बर 291 रकबा 0.5940है0, 292 रकबा 0.47है0, 293 रकबा 1.29है0, ख0न0 297रकबा 1.25है0, ख0न0 539 / 304 रकबा 0. 35है0 एवं ख0न0 537 / 296 रकबा 1.36है0 किता 6 रकबा 53140 वर्गमीटर भूमि आवासीय कॉलोनी / प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन एवं जिला स्तरीय कमेटी की 7वीं बैठक की कार्यवाही विवरण क्रमांक 2938–2946 दिनांक 14.5.2018 से ले आउट अनुमोदित आराजी कम्पलीशन आवासयी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है। जिसकी जांच उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर से कराई गई।

उप नगर नियोजक अलवर ने पत्र सख्या एएलआर 1628 / तिजारा / 191 दिनांक 12.3.2020 ने अवगत कराया है कि राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सख्या 5 "गाईडलाईन फार एप्रूवल / कम्पीलीशन आफ इन्टरनल डवलपमेंट वर्क" एवं एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु सख्या 16 में वर्णित मापदण्डों की पूर्ति के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है। मौका निरीक्षण में उक्त गाईडलाईन्स के अनुरूप कार्य किया जाना अवगत कराते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र दिये जाने में तकनीकी रूप से कोई आपत्ति नहीं बताई है।

अतः उप नगर नियोजक अलवर से प्राप्त अनापत्ति एवं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमति के आधार पर उक्त आराजी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आवेदक इस संबंध में प्रचलित समस्त नियमों / विनियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व प्रकोष्ट), कलक्ट्रेट, अलवर

प्रभारी अधिकारी
राजस्व
कलक्ट्रेट अलवर

E:\lu -20\CLU\Building Plan matters\Complition certificate.docx